न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकरलाल सालवी , आर.ए.एस.

———

प्रकरण संख्या–58/2018 वाद

दिनांक 04–10–2019

अनवान

1. हजारी पिता भेरा चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. देउ पुत्री नारायण पत्नी मांगू चमार वयस्क निवासी केसरखेडी हा0मु. बुद्वपुरा तहसील भदेसर
3. बदामी पुत्री नारायण पत्नी भाना चमार वयस्क निवासी केसरखेडी हा0मु. गोपीखेडा तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. मांगू पिता नोला चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. बगदु पिता नोला चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
3. बाबरू पिता भाना वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
4. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 रा0 का0 अधि0 1955

उपस्थित– श्री जाहिद रजा वकील वादी

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक चित्रपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188, 209 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम केसरखेडी तहसील भदेसर में स्थित खाता संख्या नई 52 पुराने 60 में अंकित आराजी नम्बर 252, 253, 456, कुल किता–3 कुल रकबा 1.4900 हैक्टैयर कृषि भूमि स्थित है जिसके साबिक आराजी नम्बर 233, 225, कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है जो मूल पुरूष नन्दा जी से चली आ रही है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 1991 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 एवं जामाबन्दी संवत् 2017 से 2020 , नकल जमाबन्दी 2025–2028 , संवत् 2036–2039 , संवत् 2069–2072 तक एवं मिलान क्षेत्रफल पेश किया है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

काश्त करते चले आ रहें है लेकिन फ़सल रबी में फसल खराबा होने पर सरकार द्वारा मुआवजा राशि जारी की थी जो हमें नहीं मिली इस पर वादीगण पटवारी साहब के पास गये तो मालूम हुआ कि हम वादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही होनें के कारण राशि नहीं मिल पाई हम वादीगण अनपढ व अनुसूचित हो के कारण अपना राजस्व रेकार्ड नहीं देख पाए उक्त कृषि भूमि पर **हम वादीगण का हिस्सा दर्ज है या नहीं अन्य खातें में हम वादीगण का हक हिस्सा बराबर** चल रहा है रेकार्ड में नाम अंकित चल रहा है इसलिए उक्त आराजीात में हक वादीगण का 1/2 हक हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी है जिससे यह वादपत्र बाबत घोषणा हेतु पेश किया है ।

4. यह कि उक्त आराज़ीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण हम वादीगण को बेदखल नहीं करें हैं हमारे कब्जे काश्त में किसी प्रकार व्यवधान पैदा करें एव ं ना ही आराजीयात को खर्द बुर्द करें इस प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने हेतु यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है ।
5. यह कि दौराने वाद प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात विक्रय रहन बख्शीस कर देवे तो वादीगण के हक हिस्से तक शून्य व बेअसर घोषित किया जावे इस हेतु वाद प्रस्तुत किया है ।
6. बिनाय दावा प्रथमतः दिनांक 21.01.2019 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आने से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतः प्रार्थना है कि वादवर्णित आराजीयात में से वादीगण का 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी की घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के हिस्से में आने वाली भूमि में किसी प्रकार की दलखलअन्दाजी न तो स्वंय करें न अन्य से करावें एवं रहन बय बक्षीश न करें न करावें ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

2. उक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादी के पूर्वज मूल पुरूष नन्दा के समय से चली आ रही है वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

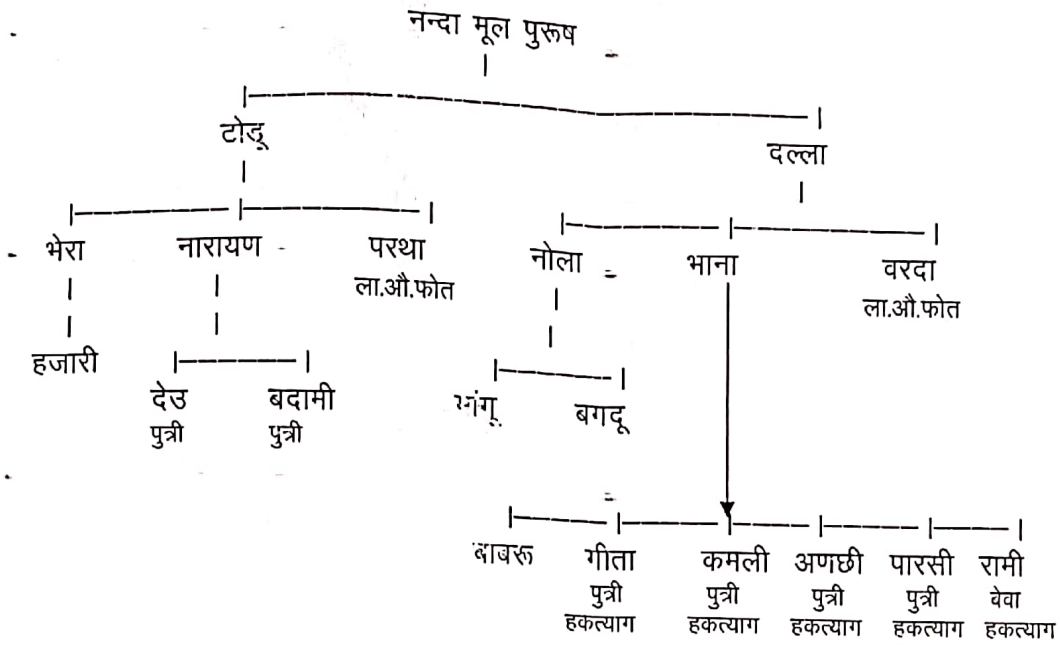

3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात पैत्रृक पुश्तैनी है जो संवत् 1991 में टोडू पिता नन्दा का 1/2 हक हिस्सा दल्ला का 1/2 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रेकार्ड था लेकिन बाद में राजस्व रेकार्ड में राजस्व कम्रचारियों ने टोडू का नाम वादग्रस्त आराजी नम्बर 223 व 225 के राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया जिससे उक्त आराजीयात दल्ला पिता नन्दा के अकेले के नाम दर्ज हो गई जो विरासत से दल्ला के पुत्र नोला भाना वरदा के नाम दर्ज हुई नोला की मृत्यु के बाद मांगू व बगदू के नाम दर्ज रेकार्ड है जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है एवं भाना की मृत्यु के बाद बाबरू जो प्रतिवादी संख्या 03 है एवं भाना की पुत्री व बेना ने बाबरू के पक्ष में हक त्याग कर दिया व वरदा लाऔलाद फोत हुआ जिससे उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के 1/2 हक से व प्रतिवादी संख्या 03 का 1/2 हक हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो गलत है टोडू की मृत्यु के बाद केवल दल्ला पिता नन्दा के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई जबकि टोडू के दो पुत्र भेरा व नारायण ने परथा परथा ला औलाद फोत हुआ एवं भेरा के एक पुत्र हजारी जो वादी संख्या 01 है व नारायण के दो पुत्रियां जो वादी संख्या 2 व 3 है उक्त आराजीयात में वादीगण का भी 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए उक्त आराजीयात पर वादीगण 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा केसरखेडी खाता संख्या 60 संवत् 2069 प्रदर्श–1
2. मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2ए व प्रदर्श 2बी
3. नकल जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त मौजा केसरखेडी खाता संख्या 32 संवत् 1991 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा केसरखेडी खाता संख्या 7 संवत् 2013–2016 प्रदर्श–4
5. नकल जमाबन्दी मौजा केसरखेडी खाता संख्या –संवत् 2017–2020 प्रदर्श–5
6. नकल जमाबन्दी मौजा केसरखेडी खाता संख्या –संवत् 2024–2028 प्रदर्श–6
7. नकल जमाबन्दी मौजा केसरखेडी खाता संख्या 36 संवत् 2036–2039 प्रदर्श–7
8. बयान गवाह भेरा पिता देवा जटिया नि0 सोहनखेडा
9. बयान गवाह बालूदास पिता केसुदास वैष्णव केसरखेडी
10. बयान हजारी पिता भेरा चमार केसरखेडी

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया ।

समग्र विश्लेषण के आधार पर न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है :–

1. मौजा केसरखेडी विवादित साबिक आराजी नम्बर आराजी नम्बर 233, 225, कुल किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि टोडू 1/2 व दल्ला 1/2 वक्त बन्दोबस्त दर्ज थी जिसमें से टोडू का 1/2 हक हिस्सा किस कारण से राजस्व रिकार्ड में विलोपित किया गया इस संबध में वादीगण द्वारा जमाबन्दी बन्दोबस्त नकल जमाबन्दी प्रदर्श–3 संवत् 1991 के पश्चात् की जमाबन्दीयां प्रस्तुत नहीं की गई जिससे ज्ञात नहीं हो सकता की टोडू का नाम क्यों विलोपित किया । हो सकता है टोडू द्वारा अपना हक हिस्सा दल्ला के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया हो अथवा दल्ला को विक्रय कर दी गई हो ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned by CamScanner

2. वाद वर्णित आराजीयात में भाना के वारीसान बाबरू, गीता, कमली, अणछी ,पारसी , एवं बेवा रामी में से गीता, कमली, अणछी ,पारसी , एवं बेवा रामी द्वारा अपना हक हिस्सा अकेले बाबरू के पक्ष में हक त्याग कर दिए जाने से वादीगण द्वारा आलौच्य हक त्याग को निरस्त नहीं कराया गया या कभी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई ऐसा कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया हैं । न ही उन्हें वाद में पक्षकार बनाया गया जिससे भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन से बाधित होना प्रतित होता है ।

3. वादीगण द्वारा वाद की कलम संख्या 3 के अंतिम पैरा में यह अभिवचन किया गया है कि वादीगण 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है लेकिन फसल रबी में फसल खराबा होने पर सरकार द्वारा मुआवजा राशि जारी की थी जो हमें नहीं मिली इस पर वादीगण पटवारी साहब के पास गये तो मालूम हुआ कि हम वादीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज नही होनें के कारण राशि नहीं मिल पाई तथा कलम संख्या 6 में वर्णित किया गया है कि दिनांक 21.01.2016 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आने से पैदा होकर निरन्तर जारी है । जबकि उक्त दिनांक 21.01.2016 से क्या कभी राज्य सरकार द्वारा फसल खराबे की राशि वितरण नहीं की गई थी अथवा वादीगण द्वारा कभी के0सी0सी0 बनवाने अथवा फसली ऋण प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया होगा । रोटेशन से जमाबन्दी लिखाई वक्त पटवारी द्वारा मजमे आम में जमाबन्दी को पढकर सुनाया जाता है किन्तु वादीगण द्वारा अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होनें का उजर कभी भी राजस्व कर्मीयों/अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है । या इस दिनांक से पूर्व कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त नहीं की गई हो । कलम संख्या –3 में वर्णित किया है कि **हम वादीगण का हिस्सा दर्ज है या नहीं अन्य खातें में हम वादीगण का हक हिस्सा बराबर** चल रहा किन्तु यह अंकित नहीं किया गया कि अन्य खातों की कौन कौन सी आराजी में हिस्सा बराबर चल रहा है । ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के , शिविर , जन सुनवाई , चौपाल , लोक अदालत आयोजित की जाती है किन्तु वादीगण ने कभी ऐसी आपत्ति, सुझाव प्रस्तुत नहीं किया गया कि

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

उनका नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं लगा हो । वादीगण द्वारा वाद पत्र में काल्पनिक तथ्य अंकित किए जाना प्रतीत होता है ।

4. प्रकरण में वादीगण , प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील कराने में भी असमर्थ रहें है ।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में वाद वादीगण सावित नहीं होने से व ठोस दस्तावेजो के अभाव खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
बईजलास – श्री शंकरलाल सालवी, आर0ए0एस0,

1. हजारी पिता भेरा चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. देउ पुत्री नारायण पत्नी मांगू चमार वयस्क निवासी केसरखेडी हा0मु. बुद्धपुरा तहसील भदेसर
3. बदामी पुत्री नारायण पत्नी भाना चमार वयस्क निवासी केसरखेडी हा0मु. गोपीखेडा तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. मांगू पिता नोला चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. बगदु पिता नोला चमार वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. बावरू पिता भाना वयस्क निवासी केसरखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. सरकार जरिये तहसीलदार ,भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188, 209 रा0 का0 अधि0 1955
प्रकरण संख्या 58/2016

वादी की और से वकील श्री जाहिद रजा एवं प्रतिवादीगण की ओर से (कोई नहीं) की उपस्थिति में इस वाद को दिनांक 04–10–2019 को न्यायालय के समक्ष निराकरण के लिये पेश होने पर वाद वादीगण सावित नहीं होने से व ठोस दस्तावेजो के अभाव खारीज किया जाता है । । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 04–10–2019 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner